डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 15 ● भोपाल ● 1-15 जनवरी, 2018 ● पृष्ठ 16 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

अंतराष्ट्रीय वन मेला

आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ाने में वन मेला का महत्वपूर्ण योगदान

भोपाल। वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के माध्यम से जन-साधारण में आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ा है। डॉ.शेजवार लाल परेड मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला के समापन समारोह में बोल रहे थे। डॉ. शेजवार ने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालयों से जुड़े विद्यार्थी गाँवों तथा जंगलों का भ्रमण कर जड़ी-बूटियों की पहचान कर ज्ञान बढ़ायें। उन्होंने कहा कि जैव-विविधता बोर्ड द्वारा ग्रामीण स्तर पर समितियों का गठन किया जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से भी जड़ी-बूटियों की पहचान को बरकरार रखने में मदद मिलेगी।

वन मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद की पुर्नस्थापना के लिए आयुर्वेद के ज्ञान का विस्तार होना चाहिये। इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय वन मेला बेहतर मंच उपलब्ध कराता है। श्री महेश कोरी, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने कहा कि संघ द्वारा वनवासियों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को समुचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के साथ ही बोनस भी उपलब्ध कराया जाता है। श्री जव्वाद हसन, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने बताया कि सात दिवसीय आयोजन में लगभग एक लाख से अधिक लोगों ने मेले का भ्रमण किया। वन मेले में लगभग 80 लाख रुपये की बिक्री हुई। क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में 22 एमओयू के माध्यम से एक करोड़ 56 लाख रुपये के अनुबंध किये गये। वन मंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के दौरान आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख डॉ. अनिमेष शुक्ला भी उपस्थित थे।

सहकारिता आन्दोलन में प्रदेशवासियों को सहयोगी बनायें - श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेशवासियों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना होगा। श्री सारंग अपेक्स बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सोसायटी के बावड़ियाकलां में नव-निर्मित मारुति नंदन कॉम्पलेक्स का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही आन्दोलन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के माध्यम से हर गाँव में घर-घर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे। श्री सारंग ने कहा कि विहार का मारुति नंदन कॉम्पलेक्स बावड़ियाकलां क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम में विधायक श्री भंवर सिंह शेखावत, श्री शांतिलाल लोढ़ा, श्री नेमीचंद जैन, श्री सूर्यकांत गुप्ता, को-ऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष श्री ओम पाटीदार और सदस्य मौजूद थे।

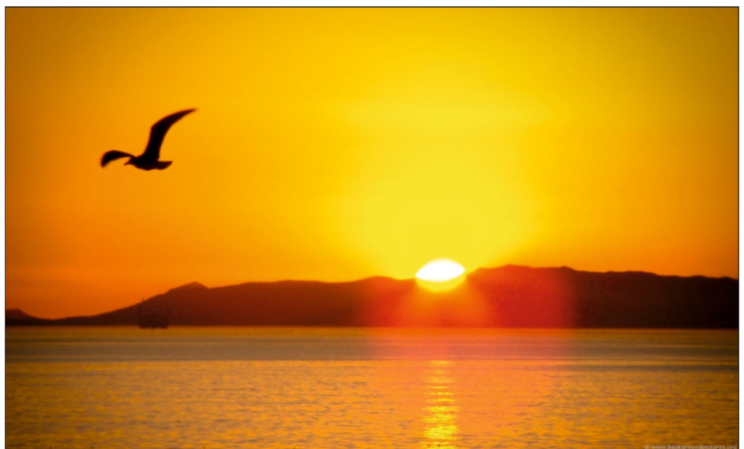

नव वर्ष 2018
हार्दिक शुभकामनाएँ

वर्ष 2018 का बहुरंगी कैलेण्डर पृष्ठ 16 पर देखें।

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. जिला सहकारी केन्द्र बैंक मर्यादित, बैतूल
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद

सहकारिता में सायबर अपराध तथा सुरक्षा उपाय

सहकारिता जगत में भी कम्प्यूटर, मोबाईल तथा इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है तथा इससे संबंधित अपराध भी बढ़ते जा रहे है जिन्हे सायबर अपराध कहा जाता है। इलेक्ट्रानिक्स तथा टेली कम्यूनिकेशन का क्षैत्र सायबर कहलाता है। शातिर अपराधी इन्ही के माध्यम से अपराध कर रहे है। इसमें अपराधी अदृश्य रहता है तथा उसकी पहचान करना कठिन होता है। यह एक व्यवसाय भी बन गया है। कई बार जाने अनजाने में हमसे भी सायबर अपराध हो सकता है। विषय के महत्व एवं आवश्यकता के आधार पर राज्य सहकारी संघ द्वारा इस विषय पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है। अन्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से अपेक्षा है कि वे इस विषय पर प्रशिक्षण आयोजित करना चाहते हो तो राज्य सहकारी संघ भेपाल एवं केन्द्रों से संपर्क कर सकते है।

शिरीष पुरोहित
कम्प्यूटर प्रशिक्षक
सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर
मोबाईल– 99264 51862

सहकारिता जगत में भी कम्प्यूटर, मोबाईल तथा इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है तथा इससे संबंधित अपराध भी बढ़ते जा रहे है जिन्हे सायबर अपराध कहा जाता है। इलेक्ट्रानिक्स तथा टेली कम्यूनिकेशन का क्षैत्र सायबर कहलाता है। शातिर अपराधी इन्ही के माध्यम से अपराध कर रहे है। इसमें अपराधी अदृश्य रहता है तथा उसकी पहचान करना कठिन होता है। यह एक व्यवसाय भी बन गया है। कई बार जाने अनजाने में हमसे भी सायबर अपराध हो सकता है। प्रमुख सायबर अपराध निम्न है–

- **वित्तीय अपराध**– इसमें सायबर की मदद से व्यक्ति अथवा संस्था की गोपनीय जानकारी हासिल कर वित्तीय हानि पहुँचाई जाती है।
- **सायबर आतंकवाद**– इसमें आतंकवादियो द्वारा सायबर का उपयोग आतंक के प्रचार प्रसार में किया जाता है तथा सायबर अटेक नही करने के एवज में सुरक्षा निधि की मांग की जाती है।
- **मनी लांर्डिग**– इसमें सायबर का उपयोग काले धन को वैध करने के लिये किया जाता है।
- **एटीएम धोखाधड़ी**– इसमें अपराधी द्वारा पिन नम्बर तथा कार्ड सम्बंधी जानकारी धोखे से प्राप्त कर राशि निकाल ली जाती है।
- **सायबर बुलिंग**– इसमें सायबर द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को प्रताड़ित किया जाता है।
- **ड्रग ट्रेफिकिंग**– इसमें वेब साईट के माध्यम से नशा उपलब्ध करवाया जाता है।
- **इन्टरनेट पोनोग्राफी**– इसमें इन्टरनेट द्वारा अश्लील वेबसाईट्स उपलब्ध करवाई जाती है।
- **सायबर वॉरफेयर**– इसमें सायबर द्वारा रक्षा संस्थाओं का डाटा चुरा लिया जाता है, बदल दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है।
- **कम्प्यूटर पायरसी**– इसमें स्टोरेज डिवाईस अथवा इन्टरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर, फिल्म, म्यूजिक आदि को कॉपी कर सस्तें में बेचा जाता है।
- **कम्प्यूटर वायरस**–इसमें स्टोरेज डिवाईस एवं इन्टरनेट की सहायता से अवांछित प्रोग्राम कम्प्यूटर में प्रवेश करवाये जाते है जो कम्प्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाते है।
- **स्पॉम ईमेल**– इसमें थोक मात्रा में डमी ईमेल भेजकर मेलबॉक्स को भर दिया जाता है तथा इनसे कम्प्यूटर को नुकसान भी होता है।
- **फिशिंग ईमेल**– इसमें वित्तीय संस्थाओं की फर्जी वेब साईट या ईमेल की सहायता से गोपनीय जानकारी हासिल कर वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है।
- **हार्डवेयर नुकसान** –यदि किसी के द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर को नुकसान पहुचाया जाता है तो यह भी सायबर अपराध है।
- **सोशल वेबसाईट द्वारा** –फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग कर दुष्प्रचार करना, धमकी देना, अश्लीलता फैलाना, ट्रोल करना तथा इसे लाईक, कमेंट या शेयर करना भी अपराध है। सामग्री देखना अपराध की श्रेणी में नही आता है।

सायबर अपराध से बचाव– सायबर अपराध का मुख्य कारण कम्प्यूटर उपयोगकर्ता को संबंधित जानकारी का आभाव है। किसी को भी गोपनीय जानकारी जैसे कार्ड नम्बर, पासवर्ड न दें। किसी भी संदिग्ध लिंक व ईमेल को न खोले। सॉफ्टवेयर पायरसी न करें। किसी भी फ्री स्कीम के लालच में न आवें। लायसेंस एंटीवायरस का उपयोग कर उसे नेट से अपडेट करते रहे। स्ट्रांग पासवर्ड बनाये। समय समय पर पासवर्ड बदलते रहे। काम खत्म होने पर अकाउंट को लॉग आउट करना न भूले। पासवर्ड देने के बाद रिमेम्बर पासवर्ड या कीप लॉगिंग को न चुने। फेक वेबसाईट के उपयोग से बचे। सोशल साईट पर अनजान लोगो को फ्रेंड न बनावें। इंटरनेट बेकिंग को सार्वजनिक स्थान जैसे सायबर कैफे, पार्क या भीड़ भाड वाले स्थानो पर उपयोग न करें। गोपनीय जानकारी को मोबाईल, डायरी या कागज पर न लिखे उसे याद कर लें। महत्वपूर्ण डाटा का बेकअप अवश्य रखे। फिर भी यदि आपके साथ सायबर अपराध घटित होता है तो पुलिस या सायबर सेल से सम्पर्क करें। सायबर अपराध संबंधी साक्ष्य को नष्ट न करें व उन्हे पुलिस को उपलब्ध करवायें। इन मामलो में दोषी को जुर्माने से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

भारतीय सूचना प्रौघोगिकी कानून

भारत में सायबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सूचना प्रोघोगिकी कानून 2000 से लागू हुआ। इसके पश्चात सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 व 2011 आया। इसे आई. टी. एक्ट भी कहा जाता है। कई मामलो में कॉपीराईट कानून, कम्पनी कानून ओर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्यवाही हो सकती है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है–

- इसमें कार्यालयीन दस्तावेजो के डिजिटल संस्करण को कानूनी मान्यता है।
- इसमें डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी गई है।
- इसमें ईमेल दस्तावेजो को कानूनी मान्यता दी गई है।
- इसमें ई–गर्वनेंस को कानूनी मान्यता दी गई है।
- ई–कॉमर्स के लिये कानूनी प्रावधान किये गये है।
- सायबर संबंधी अपराध तथा उसके दंड की विस्तृत व्याख्या की गई है।

इस तरह आईटी एक्ट के माध्यम से कम्प्यूटर सिस्टम, नेटवर्क तथा डाटा की सुरक्षा हेतु पर्याप्त कानूनी प्रावधान किये गये है।

4 लाख 32 हजार किसानों को निशुल्क मिली खसरा एवं बी-1 की नकल

भोपाल अब खसरा एवं बी–1 की नकल के लिए किसानों को तहसील कार्यालय के चक्कर से मुक्ति मिल गयी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणानुसार 4 लाख 32 हजार किसानों को घर-घर जाकर खसरा एवं बी–1 की नकल निश्शुल्क दी गयीं। जो किसान घर में नहीं मिले उनकी खसरा एवं बी–1 की नकल तहसील में उपलब्ध हैं। संबंधित किसान तहसील कार्यालय से अपना रिकार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया है कि अब प्रति वर्ष किसानों को खसरा एवं बी–1 की नकल निश्शुल्क दी जायेंगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को अब तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि जल्द ही मोबाइल एप से खसरा–बी–1 की नकल निकालने की सुविधा भी किसानों को मिलेगी।

डिफाल्टर किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर मूलधन जमा कराने का मौका दिया जाएगा

भावांतर योजना में किसानों को 400 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुंदरलाल पटवा की प्रथम पुण्य-तिथि के अवसर पर मण्डीदीप में अंत्योदय-सह-स्व-रोजगार मेले में 820 करोड़ की लागत के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्री चौहान ने मेले में सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं से भी 33 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री सुंदरलाल पटवा के दिखाए मार्ग पर चल कर राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिये संकल्पित प्रयास कर रही है। प्रदेश को देश में प्रथम पंक्ति का राज्य बनाने के लिये विकास एवं कल्याण की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये भावांतर योजना बनाई गई है। इस योजना में चार हजार किसानों को अभी तक 400 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान किया गया है।

किसानों के लिये नयी समाधान योजना

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिए नई समाधान योजना बनाई जा रही है। इसमें डिफाल्टर किसानों को मूलधन की किश्त बनाकर शून्य प्रतिशत ब्याज पर जमा करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवासीय पट्टे देकर उन्हें अपने घर का मालिक बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। श्री चौहान ने बताया कि भोजपुर क्षेत्र के शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत निर्मित करने के उद्देश्य से उन्हें रेत खदानों की नीलामी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्री चौहान ने बताया कि गरीबों के घर में रोशनी के लिए 200 रूपए एवरेज पर बिना मीटर के विद्युत प्रदाय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के साथ दुराचार करने वालों को फांसी की सजा दिलाने के लिये विधानसभा में विधेयक पास किया गया है। श्री चौहान ने मंडीदीप में पॉलीटेक्निक कॉलेज और बाड़ी तथा सुल्तानपुर में कॉलेज खोलने की घोषणा की।

कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर, पूर्व केबिनेट मंत्री श्री विक्रम वर्मा, पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा, सांसद श्री प्रभात झा, वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार, खनिज, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी, उदयपुरा विधायक श्री रामकिशन चौहान एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और ग्रामीण उपस्थित थे।

उन्नत नस्ल की गायों का दूध बेचकर प्रतिदिन आमदनी हुई 1500 रुपये

भोपाल। नीमच जिले की मनासा तहसील के गाँव चुकनी के किसान रतनलाल पाटीदार खेती-किसानी के साथ परम्परागत खेती करके जैसे-तैसे अपने घर-परिवार का गुजर-बसर कर पाते थे। क्षेत्र के प्रगतिशील पशुपालक किशन पाटीदार ने उन्हें खेती के साथ पशुपालन की तरफ ध्यान देने की सलाह दी। रतनलाल को बात जंची। उसने बैंक ऋण लेकर सबसे पहले 2 शंकर नस्ल की गाय खरीदी। शुरूआत में उसे 300 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त आय होने लगी।

किसान रतनलाल ने क्षेत्र के पशु चिकित्सक राजेश पाटीदार से मार्गदर्शन लिया और पशुपालन व्यवसाय को और आगे बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में रतनलाल के पास उन्नत नस्ल की 10 गाय हो गईं। इससे उसे 900 रुपये प्रतिदिन की आय होने लगी।

रतनलाल ने दूध और गोबर की खाद से हुई आमदनी से एक मारुति कार खरीद ली है। मारुति कार पर लिखवाया **गौ-माता की देन**। यहीं नहीं रुका रतनलाल, उसने कुछ और उन्नत नस्ल की गायें खरीदी हैं।

आज रतनलाल दिन भर में 70 लीटर दूध साँची दुग्ध संघ को नियमित रूप से बेच रहा है। अब उसे 1500 रुपये प्रतिदिन की आमदनी हो रही है। दूध के अलावा अब वो साल भर में करीब डेढ़ लाख रुपये की गोबर खाद भी बेच लेता है। अब रतनलाल प्रगतिशील किसान बन गया है। आज रतनलाल और उसका परिवार पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर बेहद खुश है। उसकी आर्थिक तरक्की से क्षेत्र के आसपास के किसान भी प्रभावित हैं।

विकास के लिये जनता का साथ और सहभागिता जरूरी 'मैं मुमकिन हूँ' कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्री सारंग

भोपाल। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा है कि स्वच्छता अभियान में जन-सहभागिता को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पार्क के विकास कार्यों में जनता की सहभागिता को सफल प्रयोग बताते हुए कहा कि विकास के लिए सरकार के साथ जनता की भागीदारी भी जरूरी है। श्री सारंग नवदुनिया समाचार-पत्र के **मैं मुमकिन हूँ** कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

श्री विश्वास सारंग ने पुरातन परम्पराओं, सभ्यता और संस्कृति को सहेजने और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भोपाल शहर को बसाने वाले राजा भोज को वास्तुकला की बेहतर समझ थी। मानव निर्मित भोपाल ताल इसका ज्वलंत उदाहरण है। भोपाल की 7 झीलें इस तरीके से बनी हैं कि एक के ओव्हर-फ्लो होने के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी, इस प्रकार सातों झीलें भरती हैं। यह एक कुशल वास्तुविद की कल्पना ही है।

श्री सारंग ने कहा कि नगर को स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने **मैं मुमकिन हूँ** अभियान के लिए समाचार-पत्र समूह को बधाई दी।

आईएसबीटी स्थित नगर निगम के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर श्री आलोक शर्मा, सभापति नगर निगम श्री सुरजीत सिंह चौहान, पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल, कमिश्नर नगर निगम, समाचार-पत्र समूह के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

आगामी वर्ष के अंत तक प्रदेश के हर घर में होगी बिजली - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने गुढ़ में किया विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का भूमि-पूजन

भोपाल। रीवा जिले की गुढ़ तहसील में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोलर पावर प्लांट का भूमि-पूजन किया। प्लांट में 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्लांट मात्र 2.97 रूपये प्रति यूनिट की लागत से बिजली का उत्पादन करेगा, जो दुनिया में सबसे कम है। समारोह में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का भी शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत हितलाभ का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने बदवार ग्राम में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर सौभाग्य योजना की स्मारिका का विमोचन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा जिले के ग्राम बदवार में आयोजित समारोह में कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में स्थापित होना सबके लिए गर्व की बात है। विंध्य क्षेत्र थर्मल पावर तथा जल विद्युत का केन्द्र होने के साथ अब सोलर पावर का भी केन्द्र बन गया है। इस प्लांट से पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए दुनिया की सबसे कम दर की सोलर ऊर्जा बनेगी। रीवा सोलर प्लांट की ऊर्जा से राजधानी दिल्ली की मैट्रो रेल दौड़ेगी। संयंत्र से सस्ती बिजली मिलने पर घरों को तथा उद्योगों को कम दर पर बिजली मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर घर में बिजली का कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना आरम्भ की है। इस योजना से दिसम्बर-2018 तक मध्यप्रदेश के हर घर को बिजली का कनेक्शन दे दिया जायेगा। योजना से रीवा जिले में इस वर्ष पांच हजार कनेक्शन दिये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में दो लाख करोड़ का निवेश हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हर गरीब को जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए कानून बनाया गया है। अगले तीन वर्ष में हर गरीब के आवास का सपना सच हो जायेगा। रीवा जिले में 15 हजार परिवारों को भू-अधिकार पत्र दिया जा रहा है। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से इस वर्ष आठ लाख पक्के आवास दिये जा रहे हैं।

समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा के विकास, स्व-रोजगार, निःशुल्क दवा वितरण, महिला सशक्तिकरण तथा भावांतर भुगतान योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र के किसान मेहनती हैं। यहां बाणसागर बाँध से सिंचाई सुविधा मिलने पर किसान हर फसल का अ%छा उत्पादन ले रहे हैं।

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने गरीबों के कल्याण तथा प्रदेश के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 के बाद बिजली कटौती होने पर जुर्माना लगाने के लिए शीघ्र ही कानून बनाया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी सोलर परियोजनाओं में से एक है।

प्रदेश के ऊर्जा श्री पारस जैन ने कहा कि सोलर पावर प्लांट विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है। प्रदेश में सौभाग्य योजना से 42 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने फीडर विभक्तिकरण की भी जानकारी दी। उद्योग तथा खनिज साधन मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सोलर पावर प्लांट से गैर परम्परागत ऊर्जा को नई दिशा मिलेगी। प्लांट सितम्बर-2018 तक तैयार हो जायेगा। इससे प्राप्त आय में से 15 करोड़ रूपये की राशि गुढ़ क्षेत्र के विकास में खर्च की जायेगी।

सहकारिता क्षेत्र में सायबर अपराध तथा सुरक्षा

खंडवा। म. प्र. राज्य सहकारी संघ, भोपाल, जिला सहकारी संघ, खंडवा तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खंडवा के संयुक्त तत्वाधान में सहकारिता क्षेत्र में सायबर अपराध, सुरक्षा तथा कानूनी पहलु विषय पर कार्यशाला का आयोजन दिसम्बर माह में किया गया। 19 दिसम्बर 17 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खंडवा मुख्यालय के अधिकारियो हेतु, 20 दिसम्बर को उपायुक्त कार्यालय, खंडवा के अधिकारियो हेतु एवं जावर ब्रांच से संबंधित पेक्स कर्मचारियों, 21 दिसम्बर को मूंदी ब्रांच से संबंधित पेक्स कर्मचारियों हेतु तथा 22 दिसम्बर को कृषि शाखा, खंडवा से संबंधित पेक्स कर्मचारियों हेतु कार्याशाला का आयोजन किया गया।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त सहकारिता, खंडवा श्रीमती मीना डाबर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए. के. जैन ओर जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री मेहताबसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में इस कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। डी डी न्यूज, भोपाल द्वारा इस कार्यशाला का समाचार प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम को व्यापक सराहना मिली है। अन्य जिलो में भी इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन म. प्र. राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा शीघ्र किया जावेगा।

S.No.	Particulars	As on 31.03.2017 Amount in Rs.	As on 31.03.2016 Amount in Rs.
1.50	Provision for Bonus	0.00	0.00
1.51	Provision for Iimbalances in Various Heads at Sohagpur Branch	0.00	0.00
1.52	Provision for City Harda	0.00	0.00
1.53	Income Tax Paid	2,02,90,760.00	3,92,36,426.00
1.54	Provision for Interest Payble on Borrowing	0.00	69,93,000.00
1.55	Depreciation on Govt. Investment	30,40,000.00	68,96,888.90
	Total	**3,78,79,225.46**	**5,76,21,469.90**
	Total of Expenditure	**67,02,67,448.17**	**59,36,57,778.55**
	Profit before Tax during the Year	**76,47,269.87**	**1,24,51,768.19**
1.56	Provision for Income Tax	0.00	0.00
	Profit After Tax	**76,47,269.87**	**1,24,51,768.19**
1.57	Transfer to Agriculture Credit Stablization Fund	0.00	0.00
1.58	Transfer to Statutory Reserve	0.00	0.00
1.59	Transfer to Co-oprative development Fund	0.00	0.00
	Net Profit after Appropriation	**76,47,269.87**	**1,24,51,768.19**
	G.Total	**67,79,14,718.04**	**60,61,09,546.74**

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Br.M (Account)	**Officer on Special Duty**	**Chief Executive Officer**	**Chairmen**	**Statutory Auditor**

MISHRA TIWARI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
212, 1st Floor, Haregovind Complex, Zone-1, M.P. Nagar, Bhopal-11
Phone : (0755) 2552405, 4288340, Email : casanjaykmishra@gmail.com

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद के सदस्यों को

- हमने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, होशंगाबाद के यथा 31 मार्च 2017 के संलग्न चिट्ठे तथा उस के साथ संलग्न उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु लाभ–हानि खाते तथा रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वित्तीय लेखांकन नीतियाँ, स्पष्टित सूचनाएं तथा बैंक की 22 शाखाओं का भी अंकेक्षण किया है।
- प्रबंधन का उत्तरदायित्व :–
  वित्तीय विवरण संस्था के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।
- अंकेक्षक का उत्तरदायित्व :–
  हमारा उत्तरदायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया है। उन मानकों की आवश्यकता है की हम अंकेक्षण को नियोजित एवं सम्पादित इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु करें की क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्याकथन से मुक्त है।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों की राषियां एवं प्रकटीकरण का समर्थन कर रहे साक्ष्य का नमूना–परीक्षण आधार पर परीक्षा करना शामिल है। अंकेक्षण में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रक्कलनों का आंकलन करना साथ ही साथ संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम विष्वास करते हैं की हमारा अंकेक्षण हमारी राय हेतु उचित आधार पर प्रदान करता है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन में **हम निम्न बिन्दुओं पर अपना मत व्यक्त करते हैं :–**

(क) यह कि समितियां एवं अन्य लोगों को प्रदाय किये गये ऋण के दस्तावेज पूर्ण रूप से सही नहीं पाये गये हैं।

(ख) अंतकार्यालयीन खाते / सरकारी खाते, उचंत खाते, शाखाओं और प्रधान कार्यालय के मध्य अंतकार्यालयीन व्यवहार का समाधान नहीं किया गया है और यह समाधान कार्य जारी है।

(ग) जिस वित्तीय वर्ष से हस्थलिखित पद्धति से सी.बी.एस. पद्धति में परिवर्तन किया गया तबसे विविध लेनदारियां एवं विविध देनदारियां दर्षायी गयी, जिनका मूल कारण कुछ खातों के गलत बैलेंष लिये गये एवं कुछ बैलेंष को आर्थिक चिट्ठे में नहीं लिया गया।

इन बैलेंश का सत्यापन होना बाकी है और इनका अंतिम प्रभाव क्या होगा यह सुनिष्चित नहीं किया जा सकता।

हमारी राय में एवं प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिये गये स्पष्टीकरण एवं बैंक की लेखा पुस्तकों एवं बहियों में दर्षायी गयी जानकारी (उपरोक्त टिप्पणी के अतिरिक्त) और एल.एफ.ए.आर. के अनुसार बनाये लेखा बिन्दुओं को पढ़कर (संलग्न प्रतिवेदन) हमारी रिपोर्ट है, कि :–

(अ) (1) यह की आर्थिक चिट्ठा जरूरी जानकारी से समाहित है और यह ठीक से बनाया गया है एवं बैंक की दिनांक 31.03.2017 की सही स्थिति दर्षित करता है, (अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये बिन्दुओं के अलावा)

(अ) (2) दिनांक 31.03.2017 का लाभ हानि पत्रक सही एवं उचित मुनाफे को दर्षित करता है, परन्तु बैंक द्वारा आय की सही गणना की नीति लगातार प्रचलन में नहीं ली जा रही है, जो कि आर.बी. आई. एवं नाबार्ड के मार्गदर्शन के हिसाब से होना चाहिऐ एवं वित्तीय वर्ष 2016–2017 के लिए आयकर का प्रावधान नही किया गया है।

आर्थिक चिट्ठे और लाभ–हानि पत्रक के विषय में शेष टिप्पणियां लेखाबिन्दुओं के रूप में संलग्न है।

(ब) हमारे द्वारा जो भी जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगा गया वह संतोषजनक प्रदाय किया गया, किन्तु कुछ शाखाओं द्वारा ऋण संबंधित रहितीय विवरण, समितियों की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं ऋण के खाते नहीं प्रदाय किये गये।

(स) हमारी जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा किया गया व्यवहार उनको दिये गये अधिकारों के अनुसार था।

(ड) बैंक की शाखाओं एवं अन्य कार्यालयों से प्राप्त विवरणीय अंकेक्षण के लिये उचित एवं पर्याप्त पाये गये।

हमारे उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार हम उपर्युक्त बैंक को श्रेणी "ब" में वर्गीकृत करते हैं, जो कि दिषा निर्देष परिपत्र क्रमांक 432/JI/2013&14 पर आधारित है।

मिश्रा तिवारी एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
फर्म पंजीयन क्रमांक 005188C

सी.ए. संजय मिश्रा
(साझेदार)
पंजीयन क्रमांक. 073946

अंकेक्षण वर्गीकरण ब ...... की पुष्टि की जाती है
संयुक्त आयुक्त सहकारिता
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

दिनांक : 28.06.2017
स्थान : भोपाल

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से हर घर होगा रोशन

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा शुभारंभ

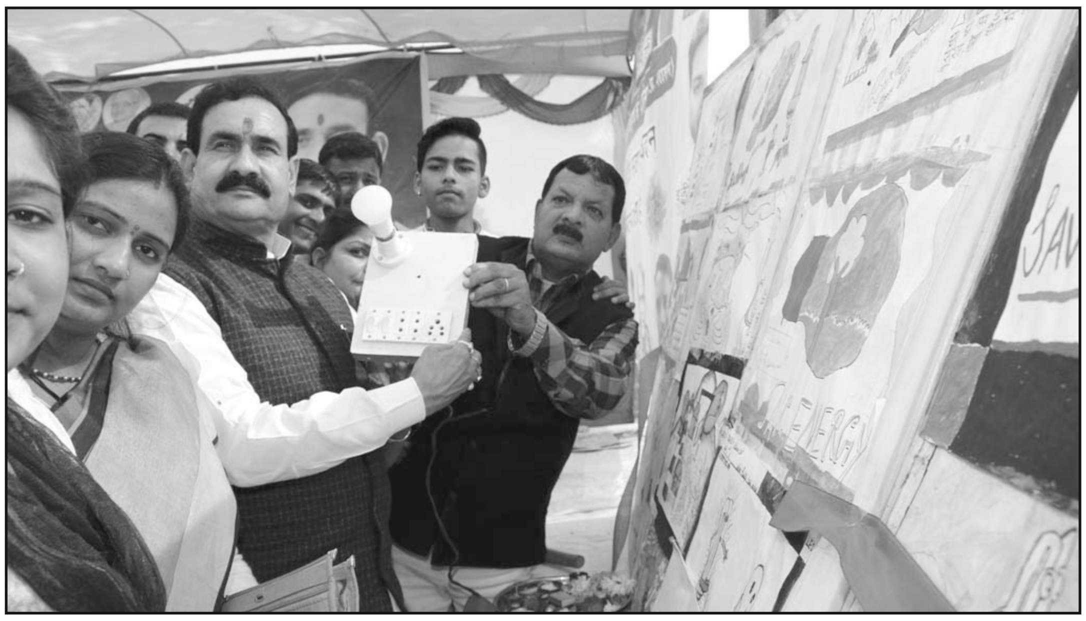

भोपाल। जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र ने दतिया में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। डॉ. मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना पूरे देश में लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से हर घर में विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के घरों में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। अन्य वर्गों को मात्र पांच सौ रूपये में कनेक्शन मिलेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने कहा कि इस योजना से दतिया जिले में करीब 30 हजार परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी प्रजापति ने की। इस अवसर पर अन्य जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र दतिया के मण्डी प्रांगण पहुँचे और हम्मालों एवं व्यापारियों से मिले। डॉ. मिश्र ने हम्मालों और तुलावटियों से चर्चा भी की। उन्होंने हम्मालों से एक रूपये किलो गेहूँ, चावल एवं नमक तथा बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं के संबंध में चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों से भावांतर भुगतान योजना के संबंध में बातचीत की।

भावांतर योजना पोर्टल पर दर्ज विवरण की त्रुटियों को दुरस्त करने कलेक्टर समिति अधिकृत

जिला कलेक्टर्स को लागइन पासवर्ड जारी

भोपाल। भावातंर भुगतान योजना के पोर्टल में योजना से संबंधित छूटी गई जानकारी के इन्द्राज अथवा त्रुटिपूर्ण दर्ज विवरण को संशोधित करने के लिये जिला कलेक्टर्स को लागइन पासवर्ड प्रदान किया गया है। योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को 30 दिसम्बर 2017 तक मूल दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर उसके कारण को लेखबद्ध करते हुए अनुमति देने और उस अनुरूप संशोधन करवाने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है।

योजना की नियत प्रक्रिया के अनुसार पात्र पंजीकृत कृषक से संबंधित शुद्ध एवं प्रामाणिक विवरण के आधार पर सही भावातंर का तत्परता से हितग्राही के बैंक खाते से सीधे राशि अंतरण का प्रावधान है। यह संज्ञान में आया है कि कुछेक प्रकरणों में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन, भूमि का रकबा, बोई गई फसल का सत्यापन, मंडी में विक्रय संव्यवहार इत्यादि आवश्यक जानकारियाँ इन्द्राज होने से छूट गई है अथवा त्रृटिपूर्ण विवरण दर्ज हो गया है। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2017 के लिये भावातंर भुगतान योजना का पोर्टल संचालित किया जा रहा है। पोर्टल पर योजना में प्रदेश के किसानों का चयनित फसलों के लिये पंजीयन करने, उनकी भूमि तथा बोनी का रकबा, बोई गई फसल का विवरण, पंजीकृत उपज का मंडी प्रांगण में विक्रय संव्यवहार, शासन द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर औसल उत्पादकता, शासन द्वारा अवधि विशेष के लिये समय-सयम पर निर्धारित औसत मॉडल (होलसेल) दर आदि का विवरण दर्ज करने की व्यवस्था है। इसी विवरण के आधार पर भावातंर का निर्धारण होता है। पोर्टल पर इन जानकारियों के सूक्ष्म सत्यापन और सत्यापन में उजागर होने वाली विसंगतियों का यथा समय निराकरण अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 29,88,147 गैस कनेक्शन वितरित

भोपाल। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 29 लाख 88 हजार 147 गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं और 36 लाख 95 हजार 960 परिवारों के केव्हायसी जमा करवाये जा चुके हैं। इनमें से 31 लाख 52 हजार 363 आवेदनों की स्वीकृति हो चुकी है और 30 लाख 13 हजार 692 परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। जारी किये गये कनेक्शनों को लगाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में सभी पात्र 72 लाख 38 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन दिये जाएंगे। खाद्य आयुक्त श्री विवेक पोरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि आईल कम्पनी द्वारा 4 लाख हितग्राहियों को प्रति माह गैस कनेक्शन जारी करने के लिये सिलेण्डर, रेग्यूलेटर एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वह उनके जिले के लिये तय लक्ष्य अनुसार हितग्राही परिवारों को गैस कनेक्शन जारी करवायें। सभी पात्र परिवारों के केव्हायसी फार्म एजेन्सियों में जमा करवाये जायें।

खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि अगार जिले में 37 हजार 30, अलीराजपुर में 30 हजार 138, अनुपपूर में 38 हजार 417, अशोकनगर में 47 हजार 170, बालाघाट में 1 लाख 2 हजार 201, बड़वानी में 58 हजार 351, बैतूल में 75 हजार 172, भिंड में 38 हजार 166, भोपाल 30 हजार 569, बुरहानपुर में 23 हजार 133, छतरपुर में 77 हजार 574, छिन्दवाड़ा 80 हजार 299, दमोह में 63 हजार723, दतिया में 33 हजार 30, देवास में 47 हजार 288, धार में 93 हजार 541, डिण्डोरी में 55 हजार 558, खंडवा में 50 हजार 40, गुना में 55 हजार 274, ग्वालियर में 41 हजार 856, हरदा में 26 हजार 586, होशंगाबाद में 44 हजार 509, इंदौर में 26 हजार 81, जबलपुर में 69 हजार 681, झाबुआ में 39 हजार 171, कटनी में 63 हजार 69, मंडला 79 हजार 268, मंदसौर में 52 हजार 328, मुरैना में 71 हजार 968, नरसिंहपुर में 67 हजार 131, नीमच में 29 हजार 907, पन्ना में 54 हजार 549, रायसेन में 64 हजार 966, राजगढ़ में 82 हजार 92, रतलाम में 42 हजार 857, रीवा में 83 हजार 899, सागर में 1 लाख 23 हजार 470, सतना में 85 हजार 508, सीहोर में 74 हजार 165, सिवनी में 97 हजार 659, शहडोल 45 हजार 852, शाजापुर में 41 हजार 678, श्योपुर में 39 हजार 839, शिवपुरी में 78 हजार 816, सीधी में 56 हजार 687, सिगरौली में 47 हजार 137, टीकमगढ़ में 86 हजार 802, उ%जैन में 59 हजार 661, उमरिया में 21 हजार 652, विदिशा में 78 हजार 39 और खरगोन जिले में 74 हजार 590 गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को वितरित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना

अल्फिया को मिली निःशुल्क शल्य चिकित्सा

भोपाल। चार साल की अल्फिया के माता-पिता उस वक्त स्तब्ध रह गये जब भोपाल के डॉक्टरों ने बताया कि उसके दिल में छेद है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अल्फिया के बैतूल निवासी पिता श्री अब्दुल तालिब नेत्रहीन हैं और माँ अज़ीज़ा परवीन गृहणी। अल्फिया अपने माता-पिता के साथ अपने दादा के पास रहती है जो फल बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

अल्फिया का जन्म महाराष्ट्र के बरूड़ में सरकारी अस्पताल में हुआ था। अल्फिया जन्म से ही बीमार रहती थी और लगातार रोती थी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. रश्मि कुमरा को जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि बालिका का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। भोपाल के अस्पताल में दिखाने पर उन्होंने ऑपरेशन में 2 लाख का खर्च बताया। इतनी बड़ी राशि का बंदोबस्त असंभव लगने के बाद वे वापस आ गये। इसी बीच आँगनवाड़ी में आरबीएसके शिविर में चिकित्सक ने अल्फिया की जाँच की और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में नि:शुल्क ऑपरेशन की जानकारी दी। अल्फिया के दादा-दादी ऑपरेशन करवाने से बहुत डर रहे थे। इसलिये चिकित्सक द्वारा बार-बार समझाने के बावजूद वे ऑपरेशन करवाने के लिये राजी नहीं हो रहे थे। जब यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रदीप मोजेस को मिली तो उन्होंने अल्फिया की माँ को समझाया कि भोपाल के हॉस्पिटल में बच्ची का नि:शुल्क ऑपरेशन होगा और वह बिल्कुल ठीक हो जायेगी।

परवीन ने अपने सास-ससुर को कठिनाई से राजी किया। अंततः अल्फिया का सफल ऑपरेशन 30 अक्टूबर, 2017 को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया गया। उसे लगातार फॉलोअप के लिये बुलाया जाता है। आज अल्फिया पूर्णत: स्वस्थ है और उसकी मुस्कुराहट से पूरे घर का माहौल बदल गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन-तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 16 भोपाल

सत्र क्र. 17 भोपाल

सत्र क्र. 16 इंदौर

सत्र क्र. 16 इंदौर

सत्र क्र. 17 इंदौर

सत्र क्र. 17 इंदौर

सत्र क्र. 16 जबलपुर

सत्र क्र. 17 जबलपुर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन | Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

जनवरी 2018

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	

फरवरी 2018

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	
शुक्रवार	2	9	16	23	
शनिवार	3	10	17	24	

मार्च 2018

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	31

अप्रैल 2018

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

मई 2018

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	

जून 2018

रविवार		3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30

जुलाई 2018

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

अगस्त 2018

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	

सितम्बर 2018

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29

अक्टूबर 2018

रविवार		7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	

नवम्बर 2018

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	

दिसम्बर 2018

रविवार	30	2	9	16	23
सोमवार	31	3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29

शासकीय अवकाश

26	जनवरी	गणतंत्र दिवस
31	जनवरी	* संत रविदास जयन्ती
14	फरवरी	महाशिवरात्रि
2	मार्च	होली
18	मार्च	गुड़ी पड़वा
19	मार्च	* चैती चांद
25	मार्च	रामनवमी
29	मार्च	महावीर जयन्ती
30	मार्च	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)
2	अप्रैल	† बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी
14	अप्रैल	* डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी
18	अप्रैल	* परशुराम जयंती
30	अप्रैल	बुद्ध पूर्णिमा
16	जून	ईद-उल-फितर
15	अगस्त	स्वतंत्रता दिवस
22	अगस्त	ईदुज्जुहा
26	अगस्त	रक्षाबंधन
3	सितम्बर	जन्माष्टमी
21	सितम्बर	* मोहर्रम
2	अक्टूबर	गांधी जयन्ती
19	अक्टूबर	दशहरा (विजयादशमी)
24	अक्टूबर	* महर्षि वाल्मीकी जयन्ती
7	नवम्बर	दीपावली
21	नवम्बर	मिलाद-उन-नबी
23	नवम्बर	*गुरुनानक जयन्ती
25	दिसम्बर	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)

* कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिए यह छुट्टियाँ नहीं हैं। † केवल कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।